r singh\Amar singh, 2009.doc- 316 -

(22)

Imp.

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)पो/SHG/मबावि/2007/ 52002—52034 जयपुर, दिनांक 17.5.11

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
समस्त।

विषय :– जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के आदेश कमांक–एफ.6(5)(3)प्र.सु./अनु.–3/2006, दिनांक–19.01.11 के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को वितरीत किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचड़ी/नाश्ता एवं आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरीत किये जाने वाले आरटीई पूरक पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है।

इस समिति का मुख्य दायित्व जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा करना, पूरक पोषाहार का निर्माण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाया जाना, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर भी विचार करना एवं पायी जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देना है। आपकी अध्यक्षता में गठित इस समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं योजनान्तर्गत लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रबन्धन के दृष्टिगत उक्त समिति की बैठक मासिक रूप से आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं बैठक कार्यवाही विवरण नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

13.5.2011

प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज. जयपुर।

एफ.4(1)पो/SHG/मबावि/2007/ 52035—52074 जयपुर, दिनांक 17.5.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय बेबसाईट पर लोड करने हेतु।

17/5/2011

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।